



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03062023-246266  
CG-DL-E-03062023-246266

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2303]  
No. 2303]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 2, 2023/ज्येष्ठ 12, 1945  
NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 2, 2023/JYAISHTHA 12, 1945

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मई, 2023

**का.आ. 2413(अ).**—पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) के नियम 2 (क) के अंतर्गत मैसर्स पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (पी.आई.एल.) के द्वारा गुजरात राज्य में सिलवासा स्पर पाइपलाइन बिछाई जाने हेतु सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए, भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की, भारत के राजपत्र दिनांक 12 दिसंबर, 2020 को प्रकाशित अधिसूचना का.आ. 1059 दिनांक 07 दिसंबर, 2020 द्वारा प्राधिकृत, मै. बी. एस. दवे, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) नियमावली, 1963 के नियम 4 के उप-नियम (1) के नीचे दी गई परिभाषा (1) के अन्तर्गत अधिकारों के अनुपालन में, मैसर्स पी.आई.एल. जिसमें यथास्थित, उस क्षेत्र में भूमि में उपयोग का अधिकार निहित किया गया है और उस क्षेत्र में पाइपलाइन का स्वामित्व निहित है, के परामर्श से संलग्न अनुसूची के स्तम्भ 4 में गुजरात राज्य के जिला वलसाड में प्रचालन की समाप्ति की तारीखें घोषित करता हूँ।

## अनुसूची

तहसील : उमरगाम		जिला : वलसाड			राज्य : गुजरात
क्र. स.	गाँव का नाम	धारा 6(1) और 6(4) की का0 आ0 संख्या एवं दिनांक			प्रचालन समाप्ति का दिनांक
1	2	3			4
1	झरोली	1555 (अ)	दिनांक	28-03-2022	25-01-2023
		4726 (अ)	दिनांक	30-09-2022	

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 की धारा 17 के अंतर्गत संरचित पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) नियम, 1963 के नियम 4 के अंतर्गत भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशनार्थ

[फा. सं. एल.- 14014/180/2021-जी.पी.-II (ई-40693)]

रामजीलाल मीना, अवर सचिव

## MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

## NOTIFICATION

New Delhi, the 31st May, 2023

**S.O. 2413(E).**—In pursuance of powers conferred by Explanation 1 below sub-rule (1) of Rule 4 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Lands) Rules, 1963, I, B.S.Dave, Competent Authority authorized by Government of India, Ministry of Petroleum & Natural Gas vide Notification S.O.1059 dated 7<sup>th</sup> December, 2020 (published in the Gazette of India on 12<sup>th</sup> December, 2020) under Section 2(a) of the Petroleum & Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962(50 of 1962) to perform the functions of Competent Authority for laying Silvassa Spur Pipeline by M/s Pipeline Infrastructure Limited (PIL) in the State of Gujarat, in consultation with M/s PIL, to whom the Right of User in the land in that area has been vested and in whom the ownership of the pipeline in that area vests, hereby declare the dates, mentioned in Column 4 of the Schedule annexed herewith, as the dates of Termination of Operations in District Valsad in the State of Gujarat.

## SCHEDULE

Tehsil : UMARGAM		District : VALSAD			State : GUJARAT
Sl. No.	Village	S.O. No. and Date of Notification under sub-section (1) & (4) of Section 6			Date of Termination of Operation
1	2	3			4
1	Zaroli	1555(E)	Date	28-03-2022	25-01-2023
		4726(E)	Date	30-09-2022	

Published in the Official Gazette of India under Rule 4 of the P&MP (ARUL) Rules 1963, framed under Section 17 of P&MP (ARUL) Act, 1962

[F. No. L-14014/180/2021 -GP-II (E-40693)]

RAMJI LAL MEENA, Under Secy.